Event on Consumer Laws organized at ICFAI University Jharkhand – April 01, 2019

the pioneer
RANCHI | TUESDAY | APRIL 2, 2019
city 02

'Voice of consumers' held at ICFAI University

PNS ■ RANCHI

The ICFAI University Jharkhand organised a One Day Event - Voice of Consumers, focused on awareness of consumers on the Consumer Laws. Justice Ramesh Kumar Merathia, Retd. Judge, Jharkhand High Court was the Chief Guest and other guests of Honor were J.P. Agarwal, Member, District Consumer Forum, Ranchi and Jayant Prasad, Member, Vidyut Upabhogta Shikay at Nivaran Forum, Ranchi.

Earlier, a Legal Awareness Campaign was conducted in respect of consumer rights and duties in an around Simalia village, situated nearby the university campus, by the students of BBA-LLB and Para-Legal Volunteers of the District Legal Services Authority, Ranchi.

As a part of the event, a Moot Court Competition was conducted for the University students, who were asked to argue on identified consumer law cases. Judge for the competition was Justice Ramesh Kumar Merathia.

Welcoming the audience, Prof. ORS Rao, Vice Chancellor ICFAI University said, "In order to get quality goods and services, all consumers must know their rights, as enshrined in the Consumer Laws and also on how to redress their complaints legally. However, today, such awareness is very low among most of the consumers. Purpose of today's event is to enhance the awareness of consumers particularly in Urban and Rural areas so that the entire society is benefited".

Addressing the students, Justice Justice Ramesh Kumar Merathia explained the important provisions of the Consumer Protection Act 1986 and stressed that this law is in addition to other laws, for protecting the rights of the consumers. He also suggested some important amendments to the Act so that the becomes more responsive beneficial in dealing with consumer disputes.

J.P. Agarwal highlighted the important provisions of proposed Consumer Protection Amendment 2018. Jayant Prasad explained about the consumer protection mechanism under Electricity Act and the role of Electricity Regulatory Commission, Electricity Ombudsman in this regard.

The Chief Guest distributed the prizes of recognition for the various events organised during the day. Ms. Nisha Kumari Mishra, 1st Year BBA-LLB student was adjudged the best speaker in the Moot Court Competition.

The students, faculty members and employees of the University participated in the event. The program concluded with vote of thanks by Dr. B.M. Singh, Registrar of the University.

MORNING INDIA
www.sanmarglive.com
03 Ranchi, Tuesday
2 April 2019

Event on Voice of Consumers organised at ICFAI University

ML NEWS SERVICE

RANCHI: The ICFAI University Jharkhand organized a One Day Event - Voice of Consumers, focused on awareness of consumers on the Consumer Laws. Justice Ramesh Kumar Merathia, Retd. Judge, Jharkhand High Court was the chief guest and other guests of Honor were JP Agarwal, Member, District Consumer Forum, Ranchi and Jayant Prasad, Member, Vidyut Upabhogta Shikay at Nivaran Forum, Ranchi.

Earlier, a Legal Awareness Campaign was conducted in respect of consumer rights and duties in an around Simalia village, situated nearby the university campus, by the students of BBA-LLB and Para-Legal Volunteers of the District Legal Services Authority, Ranchi.

As a part of the event, a Moot Court Competition was conducted for the University students, who were asked to argue on identified consumer law cases. Judge for the competition was Justice Ramesh Kumar Merathia.

Welcoming the audience, Prof. ORS Rao, Vice Chancellor ICFAI University said, "In order to get quality goods and services, all consumers must know their rights, as enshrined in the Consumer Laws and also on how to redress their complaints legally.

However, today, such awareness is very low among most of the consumers. Purpose of today's event is to enhance the awareness of consumers particularly in Urban and Rural areas so that the entire society is benefited".

Addressing the students, Justice Justice Ramesh Kumar Merathia explained the important provisions of the Consumer Protection Act 1986 and stressed that this law is in addition to other laws, for protecting the rights of the consumers.

खबर मन्त्र
रांची, मंगलवार, 02 अप्रैल 2019 16

इक्फाई विवि में उपभोक्ता की आवाज पर कार्यक्रम

उपभोक्ता कानून के लिए जागरूक किया

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। इक्फाई विश्वविद्यालय में एक दिनी उपभोक्ताओं की आवाज पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपभोक्ता कानूनों पर उपभोक्ताओं को जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रमेश कुमार मेरठिया उपस्थित थे। वहीं, रांची जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य जेपी अग्रवाल और रांची विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य जयंत प्रसाद सम्मानित अतिथि थे। कार्यक्रम से पहले बीबीए-एलएलबी और पैरा-लीगल वालंटियर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रांची के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के पास स्थित सिमलिया गांव में उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में कानूनी जागरूकता अभियान भी चलाया गया। मौके पर इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा कि गुणवत्ता के सामान और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को जानना चाहिए। साथ ही साथ यह भी जानना चाहिए कि उनकी शिकायतों को औपचारिक रूप से कैसे निवारण किया जाए। छात्रों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति मेरठिया ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या की।

मंगलवार, 02 अप्रैल 2019 16
हिन्दुस्तान

जस्टिस रमेश कुमार मेरठिया ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन का सुझाव दिया

इक्फाई के विद्यार्थियों ने चलाया कानूनी जागरूकता अभियान

रांची | प्रमुख संवाददाता

इक्फाई विश्वविद्यालय में सोमवार को उपभोक्ताओं की आवाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम उपभोक्ता कानूनों के प्रति उपभोक्ताओं की जागरूकता पर आधारित था। मौके पर मुख्य अतिथि जस्टिस रमेश कुमार मेरठिया ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या की और जोर दिया कि यह कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अन्य कानूनों के अतिरिक्त है। उन्होंने अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन का भी सुझाव दिया, ताकि उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे में सहूलियत हो। मौके पर जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य जेपी अग्रवाल, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य जयंत प्रसाद आदि मौजूद थे।

सोमवार को सिमलिया गांव में लोगों को जागरूक करते विद्यार्थी व अन्य।

उपभोक्ता अपने अधिकार को जानें : प्रो राव

कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा कि गुणवत्ता के सामान और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को जानना चाहिए। जेपी अग्रवाल ने प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक 2018 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बताया।

उपभोक्ताओं के अधिकारों और कर्तव्य बताए : जागरूकता अभियान के तहत बीबीए-एलएलबी और पैरा-लीगल वालंटियर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, रांची के विद्यार्थियों की ओर से विश्वविद्यालय परिसर के पास स्थित सिमलिया गांव में उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया।

मूट कोर्ट प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता बनीं निशा

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उपभोक्ता कानून के मामलों पर बहस के लिए कहा गया था। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। इसमें छात्रा निशा कुमारी मिश्रा को मूट कोर्ट प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुना गया।

दैनिक भास्कर

रांची, मंगलवार 02 अप्रैल, 2019

इक्फाई विवि : उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाया

सिटी रिपोर्टर | रांची

इक्फाई विश्वविद्यालय में 'उपभोक्ताओं की आवाज' कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें उपभोक्ता कानून व उपभोक्ताओं की जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस रमेश कुमार मेरठिया और अन्य सम्माननीय अतिथि जिसमें सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम रांची के जेपी अग्रवाल और सदस्य विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रांची के जयंत प्रसाद उपस्थित थे। इससे पहले बीबीए-एलएलबी और पैरा-लीगल वालंटियर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के स्टूडेंट्स द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के आसपास स्थित सिमलिया गांव में उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में एक कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। जिसमें उपभोक्ता कानून के मामलों पर बहस करने के लिए कहा गया था। जिसमें इस प्रतियोगिता के निर्णायक न्यायमूर्ति रमेश कुमार मेरठिया थे। इस मौके पर इक्फाई विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने दर्शकों का स्वागत करते हुए कहा कि गुणवत्ता के सामान और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को जानना चाहिए। साथ ही उनकी शिकायतों का औपचारिक रूप से कैसे निवारण किया जाए ये जानना जरूरी है। कहा कि आज के आयोजन का उद्देश्य उपभोक्ताओं का कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

सन्मार्ग 10

रांची, मंगलवार 02 अप्रैल 2019

इक्फाई विश्वविद्यालय में उपभोक्ता की आवाज कार्यक्रम का आयोजन, मेरठिया बोले

अन्य कानूनों के अतिरिक्त है उपभोक्ता संरक्षण कानून

कार्य संवाददाता

रांची : इक्फाई विश्वविद्यालय में उपभोक्ताओं की आवाज पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपभोक्ता कानूनों को लेकर उपभोक्ताओं की जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रमेश कुमार मेरठिया मुख्य अतिथि थे। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या की और जोर दिया कि यह कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अन्य कानूनों के अतिरिक्त है। उन्होंने अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन का भी सुझाव दिया ताकि उपभोक्ता विवादों से निपटने के लिए कानून और अधिक संवेदनशील और लाभदायक बने। जिला उपभोक्ता फोरम रांची के सदस्य जेपी अग्रवाल ने प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक 2018 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला। इक्फाई विवि कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा गुणवत्ता के सामान और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों को जानना चाहिए। जैसा कि उपभोक्ता कानूनों में निहित है और यह भी जानना चाहिए कि उनकी शिकायतों को औपचारिक रूप से कैसे निवारण किया जाए। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य जयंत प्रसाद ने बिजली संरक्षण अधिनियम और विद्युत नियामक आयोग व विद्युत लोकपाल की भूमिका उपभोक्ता संरक्षण तंत्र के बारे में बताया। बीबीए-एलएलबी और पैरा-लीगल वालंटियर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, रांची के छात्रों द्वारा विवि परिसर के आसपास स्थित सिमलिया गांव में उपभोक्ता अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में एक कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में विधि के छात्रों के लिए एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें उपभोक्ता कानून के मामलों पर बहस करने के लिए कहा गया था। प्रतियोगिता के निर्णायक न्यायमूर्ति रमेश कुमार मेरठिया थे। निशा कुमारी मिश्रा, प्रथम वर्ष बीबीए-एलएलबी की छात्रा को मूट कोर्ट प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुना गया। कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण भी हुआ। आयोजन में विधि के छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन में डॉ बीरेंद्र ने धन्यवाद दिया।